

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना—15, दिनांक: 07.09.2024

संख्या—1/पी0—1002/2024—सा0प्र0—14247/श्री राज कुमार, भा0प्र0से0 (2010), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, कम्फेड, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या—1/पी0—1002/2024—सा0प्र0—14248/श्री पंकज कुमार, भा0प्र0से0 (2010), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, शिवहर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या—1/पी0—1002/2024—सा0प्र0—14249/श्री मो0 नैय्यर इकबाल, भा0प्र0से0 (2010), निदेशक, खान, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या—1/पी0—1002/2024—सा0प्र0—14250/श्री राकेश कुमार, भा0प्र0से0 (2010), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, जमुई को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, चकबंदी, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या—1/पी0—1002/2024—सा0प्र0—14251/श्री मिथिलेश मिश्र, भा0प्र0से0 (2011), निदेशक, मध्याह्न भोजन (अतिरिक्त प्रभार— निदेशक, प्राथमिक शिक्षा) को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट—46, 2023) की धारा—14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या—1/पी0—1002/2024—सा0प्र0—14252/श्री नवीन कुमार, भा0प्र0से0 (2011), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या—1/पी0—1002/2024—सा0प्र0—14253/श्रीमती इनायत खान, भा0प्र0से0 (2012), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, अररिया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निबंधक, सहयोग समितियां, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।



संख्या—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०—14254/श्री सुनील कुमार यादव, भा०प्र०से० (2012), अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०—14255/श्री योगेन्द्र सिंह, भा०प्र०से० (2013), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, समर्स्तीपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री सिंह अगले आदेश तक निदेशक, मध्याहन भोजन के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०—14256/श्री आनन्द शर्मा, भा०प्र०से० (2013), अपर सचिव—सह—अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, पंचायती राज, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्री हिमांशु कुमार राय, भा०प्र०से० (2010), निदेशक, पंचायती राज, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे।

संख्या—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०—14257/डॉ जितेन्द्र गुप्ता, भा०प्र०से० (2013) (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को आदेश तक संयुक्त सचिव, बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०—14258/डॉ विद्या नन्द सिंह, भा०प्र०से० (2013), उप निदेशक, पंचायती राज, पटना प्रमण्डल, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, अर्थ एवं सांचियकी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०—14259/श्रीमती उदिता सिंह, भा०प्र०से० (2014), बंदोबस्त पदाधिकारी, नालन्दा को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट—46, 2023) की धारा—14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2/  
१

संख्या—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०—14260/श्री रोशन कुशवाहा, भा०प्र०से० (2014), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट—46, 2023) की धारा—14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०—14261/श्री संजय कुमार, भा०प्र०से० (2014) (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को आदेश तक अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०—14262/श्री कुमार मंगलम, भा०प्र०से० (2014), नगर आयुक्त, नगर निगम, कटिहार को स्थानांतरित करते हुए आदेश तक नगर आयुक्त, नगर निगम, पूर्णिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०—14263/श्री अतुल कुमार वर्मा, भा०प्र०से० (2014), उप विकास आयुक्त, शिवहर को स्थानांतरित करते हुए आदेश तक प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०—14264/श्रीमती जे.प्रियदर्शिनी, भा०प्र०से० (2015), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, शेखपुरा को स्थानांतरित करते हुए आदेश तक निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्री जय सिंह, भा०प्र०से० (2007), निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे।

संख्या—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०—14265/श्री तुषार सिंगला, भा०प्र०से० (2015), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, किशनगंज को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट—46, 2023) की धारा—14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०—14266/श्रीमती वर्षा सिंह, भा०प्र०से० (2016), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, अरवल को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

3  
7

**संख्या—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०—14267**/श्री विजय प्रकाश मीणा, भा०प्र०से० (2016), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, निःशक्तता, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री मीणा अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

**संख्या—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०—14268**/श्री तनय सुल्तानिया, भा०प्र०से० (2017), उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट—46, 2023) की धारा—14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

**संख्या—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०—14269**/श्री तरनजोत सिंह, भा०प्र०से० (2017), निदेशक, मत्स्य, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट—46, 2023) की धारा—14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

**संख्या—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०—14270**/श्री विशाल राज, भा०प्र०से० (2017), राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट—46, 2023) की धारा—14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

**संख्या—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०—14271**/श्री आरिफ अहसन, भा०प्र०से० (2017), संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट—46, 2023) की धारा—14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

**संख्या—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०—14272**/श्री विवेक रंजन मैत्रेय, भा०प्र०से० (2017), निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, शिवहर के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट—46, 2023) की धारा—14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

४/७

**संख्या—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०—14273/**श्री कुमार गौरव, भा०प्र०से० (2017), नगर आयुक्त, दरभंगा को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, अरबल के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एकट—46, 2023) की धारा—14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

**संख्या—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०—14274/**श्री अनिल कुमार, भा०प्र०से० (2017), परियोजना निदेशक, बिहार एड्स नियंत्रण सोसाइटी, पटना (अतिरिक्त प्रभार— मिशन निदेशक, जल—जीवन—हरियाली, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, अररिया के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एकट—46, 2023) की धारा—14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

**संख्या—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०—14275/**श्रीमती अभिलाषा शर्मा, भा०प्र०से० (2017), नगर आयुक्त, गया को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, जमुई के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एकट—46, 2023) की धारा—14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

**संख्या—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०—14276/**श्री अभय कुमार झा, भा०प्र०से० (2017), प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पाठ्य—पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

**संख्या—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०—14277/**श्री आशुतोष द्विवेदी, भा०प्र०से० (2018) (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

**संख्या—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०—14278/**श्री वैभव श्रीवास्तव, भा०प्र०से० (2018) (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक निदेशक, सूचना एवं सम्पर्क, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री श्रीवास्तव अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार संवाद समिति, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

**संख्या—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०—14279/**श्री विनोद दूहन, भा०प्र०से० (2018) (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक निदेशक, खान, खान एवं भू—तत्व विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

5/7

**संख्या—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०—14280/श्री अभिषेक रंजन, भा०प्र०से० (2018) (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक निदेशक, मत्स्य, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।**

**संख्या—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०—14281/श्री शोखर आनन्द, भा०प्र०से० (2018) (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।**

**संख्या—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०—14282/श्री निखिल धनराज निष्पणीकर, भा०प्र०से० (2018) (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।**

**संख्या—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०—14283/श्री नितिन कुमार सिंह, भा०प्र०से० (2018) (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक निदेशक, कृषि, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।**

**2. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्री मुकेश कुमार लाल, आई.ए.ए.एस. निदेशक, कृषि, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे।**

**संख्या—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०—14284/श्रीमती साहिला, भा०प्र०से० (2018) (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।**

**संख्या—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०—14285/श्रीमती प्रतिभा रानी, भा०प्र०से० (2018) (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक परियोजना निदेशक, बिहार एड्स नियंत्रण सोसाइटी, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।**

**2. श्रीमती प्रतिभा रानी अगले आदेश तक मिशन निदेशक, जल—जीवन – हरियाली, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी।**

**संख्या—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०—14286/श्री समीर सौरभ, भा०प्र०से० (2019), उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, मोतिहारी को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त —सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।**

**संख्या—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०—14287/श्री कुमार अनुराग, भा०प्र०से० (2019) (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक नगर आयुक्त, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।**

11

6  
7

संख्या—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०—14288/श्रीमती गुंजन सिंह, भा०प्र०से० (2020) (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०—14289/श्री मनोज कुमार,आई.ओ.एफ.एस. (2010), अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
*(सी० सोहैल)*

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०—14289/पटना—15, दिनांक : 07.09.2024

प्रतिलिपि:— प्रभारी पदाधिकारी, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा—आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले. एवं ह.), बिहार, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/संबंधित विभाग/संबंधित कार्यालय/संबंधित पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/ भू—संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/आई०टी० मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी०डी० के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशास्त्र पदाधिकारी, प्रशास्त्रा—01 एवं 06 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. भा०प्र०से० (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम—12(1) के तहत आलोच्य पदस्थापनकाल तक के लिए श्री राज कुमार (2010) के पदस्थापन से संबंधित पद को भा०प्र०से० के विशेष सचिव, श्री कुमार मंगलम (2014) तथा श्री अतुल कुमार वर्मा (2014) के पदस्थापन से संबंधित पदों को अपर सचिव एवं श्री अभय कुमार झा (2017), श्रीमती प्रतिभा रानी (2018), श्री कुमार अनुराग (2019) और श्रीमती गुंजन सिंह (2020) से संबंधित पदों को संयुक्त सचिव स्तर के समकक्ष घोषित किया जाता है।

3. इस अधिसूचना से प्रभावित वैसे पदाधिकारी, जिनका अन्यत्र पदस्थापन नहीं हुआ है, वह सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देकर पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहेंगे।

सरकार के सचिव।

५

